संख्या-2/2024/आडिट-1-68/दस-2024/001-238/2023

प्रेषक,

समीर,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सहकारी समितियां एवं पंचायत,
लेखा परीक्षा, उ0 प्र0 लखनऊ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1, लखनऊ : दिनांक 09 अप्रैल, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-65 के अंतर्गत लेखा शीर्ष- 2425-सहकारिता-101- सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा- 03 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान में प्रावधानित धनराशि को निवर्तन पर रखा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 को संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अनुदान संख्या-65 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष-2425- सहकारिता-101-सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा-03-सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय को वहन करने के लिये प्राविधानित राजस्व धनराशि रु0 1,83,48,00,000 (रुपये एक अरब तिरासी करोड़ अड़तालीस लाख मात्र) एवं पूंजीगत धनराशि 1,20,00,000 (रुपये एक करोड़ बीस लाख मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रु0 1,84,68,00,000 (रुपये एक अरब चौरासी करोड़ अड़सठ लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रस्तर-2 में उल्लिखित विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1- धनराशियों का व्यय करने में वित्त विभाग के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1- 294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चत किया जायगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- उपरोक्तानुसार प्रावधानित धनराशि विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सम्बन्धित/सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उन मामलो मे व्यय किये जाने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3- यदि किसी व्यय के लिए शासन स्तर से वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाय, तो सन्दर्भित व्यय के लिये आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि की उपलब्धता इंगित करते हुए लेखा शीर्ष का भी उल्लेख प्रस्ताव में अंकित किया जाय।
4- उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करेंगें कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। तत्काल धनराशि अधीनस्थ कार्यालयों के निवर्तन पर रख कर जारी स्वीकृतियों की एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।
2-इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2425001010300 (सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	01 वेतन	1,00,00,00,000 (रुपये एक अरब मात्र)
2	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	02 मजदूरी	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
3	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	03 मंहगाई भत्ता	55,00,00,000 (रुपये पचपन करोड़ मात्र)
4	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	04 यात्रा व्यय	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
5	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	55,00,000 (रुपये पचपन लाख मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- ~~यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।~~
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

6	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	06 अन्य भत्ते	80,00,000 (रुपये अस्सी लाख मात्र)
7	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	07 मानदेय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
8	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	08 कार्यालय व्यय	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
9	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	09 विद्युत देय	58,00,000 (रुपये अट्ठावन लाख मात्र)
10	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	10 जलकर / जल प्रभार	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
11	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)
12	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	70,00,000 (रुपये सत्तर लाख मात्र)
13	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	13 टेलीफोन पर व्यय	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
14	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)
15	065	2425001010300	16	20,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

		सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	(रुपये बीस लाख मात्र)
16	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	70,00,000 (रुपये सत्तर लाख मात्र)
17	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
18	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	42 अन्य व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
19	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
20	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	45 अवकाश यात्रा व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
21	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र)
22	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,20,00,000 (रुपये एक करोड़ बीस लाख मात्र)
23	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	49 चिकित्सा व्यय	2,50,00,000 (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- ~~यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।~~

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

24	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	51 वर्दी व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
25	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	55 मकान किराया भत्ता	6,00,00,000 (रुपये छह करोड़ मात्र)
26	065	2425001010300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	80,00,000 (रुपये अस्सी लाख मात्र)
	कुल			**1,83,48,00,000** **(रुपये एक अरब तिरासी करोड़ अड़तालीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4070008000300 (सहकारी लेखा परीक्षा अधिघ्ठान)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	065	4070008000300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिघ्ठान	14 मोटर गाड़ियों का क्रय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
2	065	4070008000300 सहकारी लेखा परीक्षा अधिघ्ठान	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	80,00,000 (रुपये अस्सी लाख मात्र)
	कुल			**1,20,00,000** **(रुपये एक करोड़ बीस लाख मात्र)**

महायोग	1,84,68,00,000 (रुपये एक अरब चौरासी करोड़ अड़सठ लाख मात्र)

1- ~~यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।~~

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
समीर,
विशेष सचिव।

संख्या- आडिट-1-68/दस-2024/001-238 2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
समीर,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- ~~यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।~~
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।